प्रेषक,

प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक–1) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

पत्रांकः– शा0–72 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का–01 / ई–05 नियुक्ति, दिनांकः14.फरवरी, 2017

विषयः–नवनियुक्ति सहायक अभियन्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय–ज्ञाप / नियुक्ति आदेश संख्या–289 / II–2016–01(153) / 2016, दिनांक 09.02.17 (छायाप्रति संलग्न) जो अन्य के साथ–साथ आपको भी पृष्टिांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर 06 तथा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर 01 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों का चिकित्सा परिषद (मेडिकल बोर्ड) से स्वास्थ्य परीक्षण कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(टी0एस0मर्तोलिया)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–I)
कृते प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः–शा0–72 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक–1 / तदिनांक

प्रतिलिपि संलग्न कर अंकित समस्त चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय से प्रेषित है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून से स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सहित उक्त नियुक्ति आदेश दिनांक 09.02.17 के बिन्दु–01 के (क),(ख),(ग),(घ) एवं बिन्दु–05, 06 तथा 07 में उल्लिखित अभिलेखों / प्रमाण पत्रों सहित एक माह के भीतर विभाग में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(टी0एस0मर्तोलिया)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–I)
कृते प्रमुख अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
डायरी संख्या 2110-72
पत्रावली सं० 5-05 (नियुक्ति)
14-02-17

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्या– / ||–2016–01(153)/2016
देहरादूनः दिनांक, 09 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप/नियुक्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा– 2013 के आधार पर सम्यक रूप से चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों की संस्तुति लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र संख्या 450/01/ई–1/डी0आर0(ए0ई0)/2013–14 दिनांक 03.10.2016 जो कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से उनके पत्र संख्या 289/XXX(2)/2016/03(13)/2012 दिनांक 25.10.2016 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2– कार्यालय ज्ञाप/नियुक्ति संख्या 1960/||–01(153)/2016 दिनांक 19.01.2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आख्या संतोषजनक पाये गये तथा आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जाति का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त होने के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता(सिविल) के 13 एवं सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के 05 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये।

2– इसी कम में लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की उपरोक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रवासीय स्थान से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की आख्या सन्तोषजनक पाये जाने तथा आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जाति का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत **सहायक अभियन्ता** (वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे 5400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम जन्मतिथि/गृह जनपद	आरक्षित श्रेणी	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	400021	शरद कुमार/25.10.88/सम्भल(उ0प्र0)	अनारक्षित	श्री सुमन कुमार गुप्ता	श्री शरद कुमार, निकट राधा कृष्ण मन्दिर, मोती मोहल्ला, चन्दौसी, सम्भल(उत्तर प्रदेश) पिन 244412
2	408551	अभिषेक सिंह/28.04.88/प्रतापगढ़(उ0प्र0)	अनारक्षित	श्री आशीष कुमार सिंह	श्री आशीष कुमार सिंह, ग्राम–जेंवई, पो0–जेंवई, लालगंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) पिन–229410
3	404340	अभिषेक भारद्वाज/04.07.87/हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री विजय प्रकाश	श्री अभिषेक भारद्वाज, मकान नं0–370, आवास विकास कालोनी, रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिन–247667
4	401768	अमित कुमार यादव/14.09.89/हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री कालिका यादव	श्री अमित कुमार यादव, 682/25, वेस्ट अम्बेर तालाब, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिन–247667
5	402334	असीम पाल सिंह/28.03.90/हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री सुभाष पाल सिंह	श्री असीम पाल सिंह, मकान नं0–681, न्यू आदर्श नगर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन–247667
6	407211	अनामिका बुक्करवाल/11.10.92/हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	अनु0 जाति (उ0म0)	श्री राजकुमार	अनामिका बुक्करवाल, मकान नं0–352/2 एच0 गांधी नगर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन–247667

C:\All drive Data\d Mall g\9 AA Mall g:UO 2010-15.doc

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	आरक्षित श्रेणी	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	411937	अंचित रमन / 07.08.89 / हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री अनिल कुमार	श्री अंचित रमन, एम0–47, शिवलोक कालोनी, फेज–3, पो0–सेक्टर–1, भेल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन–249403

1. अभ्यर्थियों को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(क) शैक्षिक योग्यता, आयु, बी.ई./बी०टेक० डिग्री एवं जाति प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां (किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित) प्रस्तुत करके उनका मिलान मूल प्रतियों से करके ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

(ख) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों तथा वे उन्हें 6 माह से जानते हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां।

(ग) लिखित रूप में अण्डर टेकिंग (Undertaking) कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा जाति सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जाए।

(घ) अभ्यर्थी के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा परिषद (मेडिकल बोर्ड) से स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून सभी सहायक अभियन्ताओं को नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने कार्यालय में कम से कम 01 सप्ताह का कार्यालयीय प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

3. परिवीक्षा अवधि में सभी सहायक अभियन्ताओं को प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की में नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।

4. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी उक्त कार्यालय ज्ञाप/नियुक्ति निर्गत होने की तिथि से 01 माह के भीतर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, देहरादून में योगदान देना सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा की स्थिति में उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जायेंगें।

5. चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी राजकीय सेवा में है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

6. यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाते है, तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 60/ /2016 अनिल कुमार उनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 289 / ।।–2016–01(153)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, आडिट वैभव पैलेस इन्दिरा नगर, देहरादून।
4. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
14. समस्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
15. सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी (नाम से)।
16. गार्ड फाइल।

21/5/22 13/2/17

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।